19/02/24

वकील वादी प्रार्थी प्रतिवादी
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान
अधिवक्ता महोदय दीवार काल में व्यस्त
है। अतः पत्रावली वास्ते ...
दिनांक ..... को पेश हो।
05/04/24

01-03-24 आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रा० पत्र पेश करते व पेरावी इनने वकील प्रार्थी को सुना तथा प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। मुतालिक प्रा० पत्र अवगत कराया गया है कि पक्षकारान में आपस में राजीनामा हो गया है वे कार्य को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रार्थना-पत्र को Not Press में दर्ज कराना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित दस्ता भी Not Press में दर्ज किया जा चुका है अतः उक्त प्रार्थनापत्र का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी अनुसार Not Press में दर्ज किया जाता है। तथा न्यायालय दस्ता द्वारा दिनांक 04-12-23 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली के सफल सुनवाई के पश्चात् को क्रम हो संदर्भ रूम बाद हो।

Not Press
Sd/-

सचिन यादव
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)